सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

F.No. Review/1/CCL/2024-SSW Dated:- 10.09.2024

सेवा में,

Shri Nilendu Kumar Singh
Chairman-cum-Managing Director
Central Coalfields Limited (CCL)
Darbhanga House, Kutchery Road,
Ranchi- 834029 (Jharkhand)
Email:- cmd.ccl.cil@coalindia.in Phone No. – 0651-2360001

विषय:- सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) के अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा के संबंध में ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर, डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 13.06.2024 को, रांची में आयोजित समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

अत: आप से निवेदन है कि समीक्षा बैठक की संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट को पत्र प्राप्त होने के एक महीने के भीतर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसे आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके ।

Yours faithfully,

(आर.एस.मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Tel:-24641640

Copy for information

1. PS to Hon'ble Member (Shri NC).
2. PS to Hon'ble Member (Dr. AL)
3. PSO to Secretary, NCST
4. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क(5)(ई) के अंतर्गत, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी. एल.), रांची द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन, संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा और निगरानी हेतु रिपोर्ट और सिफारिशें।

File No.: Review/1/CCL/2024-SSW

समीक्षा की तिथि एवं स्थान : 13.06.2024, रांची (झारखंड)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) एक संवैधानिक निकाय है, जो देश में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 (क) के तहत स्थापित किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर आयोग से परामर्श करेगी। आयोग, भारत के माननीय राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कामकाज/कार्यान्वयन पर आयोग की ऐसी सभी रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाती हैं, साथ ही संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई और जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी शामिल होता है ।

2. उपरोक्त संवैधानिक आदेश के अनुसरण में, डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा श्रीमती अलका तिवारी, सचिव, भारत सरकार, एनसीएसटी और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने, सी.सी.एल., रांची के निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिनांक 13.06.2024 को समीक्षा बैठक की, जिसका उद्देश्य सी.सी.एल. में अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना और देश के अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न सेवा सुरक्षा उपायों और अन्य विकासात्मक योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था।

3. दिनांक 13.06.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे, समीक्षा बैठक में उपस्थित सी.सी.एल. के अधिकारियों और एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ, सी.सी.एल. के पदाधिकारियों और सी.सी.एल. के एसटी कर्मचारियों की सूची, जिन्होंने 13.06.2024 को पूर्वाह्न 10.00 बजे बैठक में भाग लिया, अनुलग्नक में है।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

4. दिनांक 13.06.2024 को समीक्षा बैठक से पहले, माननीय सदस्य, सचिव, निदेशक तथा एनसीएसटी के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में All India Scheduled Castes / Tribes and Backward Classes Co-ordination Council (Unit: CIL / CCL) (AISCSTBCCC), रांची एवं Coal India SC / ST Employees Association (सिस्टा), रांची के पदाधिकारियों के साथ सी.सी.एल. में एसटी कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और कठिनाइयों पर विचार-विमर्श किया। AISCSTBCCC एवं सिस्टा के पदाधिकारियों और संपर्क अधिकारी द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया :

क. AISCSTBCCC:

1. सी.सी.एल. की Steering Committee, Welfare Committee, House allotment, JCSC, Safety Committee में अनुसूचित जनजाति के अधिकारी / कर्मचारी का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए।
2. सी.सी.एल. में समस्त पदों हेतु बनाए गए रोस्टरों का नियमित रूप से पालन हो एवं सावधिक निरीक्षण भी सुनिश्चित किया जाए।
3. सी.सी.एल. में सुरक्षा प्रहरी पद के लिए वर्ष 1996 से भर्ती नहीं की गयी है जिसपर विशेष अभियान चला कर भर्ती आयोजित की जाये।
4. वर्ष 2021 से स्टाफ नर्स के पदों की भर्ती बंद है, अतः बैकलॉग (backlog) के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए।
5. सी.सी.एल. मुख्यालय के प्रांगण में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई जाए।
6. सी.सी.एल. प्रबंधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के सेवानिवृत्त एवं मृतक कर्मचारी के आश्रितों को CMPF एवं Pension छोटी छोटी गलतियों / भिन्नता के कारण भुगतान नहीं किया जाता है, जिस पर प्रबंधन द्वारा एक सलाहकार नियुक्त किया जाये जो उनकी समस्याएँ समझकर प्रशासन को बता सके।
7. सी.सी.एल द्वारा 1977-78 से लेकर अब तक (मई, 2024) RAFCTLAR एवं CB Act के तहत भूमि अधिग्रहण किया गया है, इसमें कितने भू – स्वामियों को नौकरी एवं मुआवजा दिया गया – के संबंध में क्षेत्र एवं परियोजनाओं का ब्यौरा ऑनलाइन (online) किया जाये ।
8. आउटसोर्सिंग (outsourcing) द्वारा विभिन्न पदों पर की जा रही नियुक्तियों में, उन अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाये, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
9. सी.सी.एल मुख्यालय में, अनुसूचित जनजाति के सक्षम कर्मचारियों को पदस्थापित किया जाये, जिससे उनका मनोबल ऊंचा बना रहे।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

10) गैर-मजरूआ खास रैयतों तथा जंगल झड़ी जमीन के बदले, नौकरी एवं मुआवजा दिया जाए, तथा जितनी भी रैयतों को जंगल झड़ी में रोका गया है उसे पुनः दिलाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए।

ख. सीस्टा (CISTEA):

1. सी.सी.एल में वर्क्स समिति में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये।
2. अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए 'कायाकल्प स्कूल' के अनुरूप सी.सी.एल के KCR कोष से आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाए।
3. सी.सी.एल में अनुसूचित जनजातियों (लगभग 200 से अधिक) रिक्त पदों को भरने के लिए अविलंब कार्यवाई प्रारम्भ की जाए।
4. भूमि अधिग्रहण में दो एकड़ भूमि की बाध्यता समाप्त की जाये तथा अनुसूचित जनजाति के लिए छूट का प्रावधान किया जाए। भूमि अधिग्रहण के पश्चात, प्रभावित परिवार के व्यक्ति को नौकरी प्रदान की जाए।
5. सी.सी.एल द्वारा बनाई गयी 'भूमि अधिग्रहण समिति' में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए ।
6. सी.सी.एल द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को लागू किया जाए।
7. आवास आवंटन में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का पालन सुनिश्चित किया जाये।
8. सी.सी.एल प्रबंधन द्वारा कार्य के दौरान गुमशुदा व्यक्ति के आश्रितों को उचित मुआवजा राशि देने का प्रावधान किया जाए।
9. सी.सी.एल प्रबंधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के चिकित्सकों को उच्च शिक्षा के लिए 'अध्ययन अवकाश' प्रदान किया जाए।
10. सी.सी.एल प्रबंधन द्वारा संपर्क अधिकारी नामित करने के लिए, सक्षम अधिकारी का चयन करें।
11. सी.सी.एल प्रबंधन द्वारा धार्मिक एवं खेलकूद कार्यक्रमों के लिए अनुसूचित जनजाति कर्मचारी के वेतन से चंदा काटने की प्रथा को अविलंब बंद किया जाए।

5. उपरोक्त बैठक के बाद, दिनांक 13.06.2024 समय 11.00 बजे माननीय सदस्य महोदया ने, सचिव, निदेशकों एवं NCST के अन्य अधिकारियों के साथ, निदेशक (तकनीकी) एवं सी.सी.एल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व, निदेशक, NCST ने माननीय सदस्य महोदया एवं NCST के अन्य अधिकारियों का परिचय देते हुए, आयोग के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में संक्षेप में अवगत कराया तथा सी.सी.एल के अधिकारियों से निवेदन किया कि वह अपना परिचय दें। निदेशक

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

(तकनीकी), सी.सी.एल ने स्वयं तथा अन्य अधिकारियों का परिचय दिया जिसके उपरांत, सी.सी.एल द्वारा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के सेवा एवं अन्य भामलों से संबन्धित विषयों पर अवगत कराया तथा सी.सी.एल की कार्यविधि प्रणाली एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में Power-point Presentation प्रस्तुत किया । Power-Point Presentation में संगठन में अनुसूचित जनजातियों तथा कुल कर्मचारियों का विवरण, अनुकंपा तथा जिनकी भूमि अधिग्रहित की गयी के आधार पर नियुक्ति का विवरण, राशि का आवंटन एवं खर्च का विवरण वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक तथा निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत की जा रही विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया।

6. आयोग द्वारा भेजी गयी प्रश्नावली के प्रतिउत्तर में, सी.सी.एल ने बताया की संगठन में दिनांक 31.03.2024 तक कुल कर्मचारी 33990 थे, जिनमें से 5560 अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। ग्रुप A श्रेणी के 2099 कर्मचारी, जिनमें से 163 अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो 7.76% हैं। ग्रुप B श्रेणी के 2594 कर्मचारी, जिनमें से 186 अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो 7.17% हैं। ग्रुप C श्रेणी के 16446 कर्मचारी, जिनमें से 2574 अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो 15.65% हैं। उसी भांति, ग्रुप D श्रेणी के 12851 कर्मचारी, जिनमें से 2637 अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो 20.93% हैं। इसके साथ-साथ यह भी बताया कि सी.सी.एल एक 'Mini-Ratna' कंपनी है, जिसके अंतर्गत 36 परिचालित खदानों: 3 भूमिगत तथा 33 खुली खदानों; 5 वॉशरियां: 4 कोकिंग कोल वॉशरी (कथरा, रजरप्पा, केदला एवं स्वांग); 1 गैर कोकिंग कोल वॉशरी (पिपरवार); एक केन्द्रीय कर्मशाला (बरकाकाना) तथा 5 क्षेत्रीय कर्मशालाएँ (जारंगडीह, उत्तरी तपिन, डकरा, गिरिडीह एवं भुरकुंडा) हैं। इसके अतिरिक्त 7 कोल फील्ड्स (पूर्वी बोकारो, पश्चिमी बोकारो, उत्तर कर्णपुर, दक्षिण कर्णपुर, रामगढ़, गिरिडीह एवं हुंटार) का परिचालन किया जा रहा है।

7. आयोग का अवलोकन: आयोग ने पाया कि सी.सी.एल संगठन में दिनांक 01.01.2024 को कुल कर्मचारी 34230 थे, जिनमें से 5640 अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। ग्रुप A श्रेणी के 2150 कर्मचारी, जिनमें से 168 अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो 7.81% हैं। ग्रुप B श्रेणी के 2610 कर्मचारी, जिनमें से 188 अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो 7.49% हैं। ग्रुप C श्रेणी के 16541 कर्मचारी, जिनमें से 2612 अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो 15.79% हैं। उसी भांति, ग्रुप D श्रेणी के 12929 कर्मचारी, जिनमें से 2672 अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो 20.66% हैं। जबकि 31.03.2024 को कुल कर्मचारी 33990 थे, जिनमें से 5560 अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। ग्रुप A श्रेणी के 2099 कर्मचारी, जिनमें से 163 अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो 7.76% हैं। ग्रुप B श्रेणी के 2594 कर्मचारी, जिनमें से 186 अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो 7.17% हैं। ग्रुप C श्रेणी के 16446 कर्मचारी, जिनमें से 2574 अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो 15.65% हैं। उसी भांति, ग्रुप D श्रेणी के 12851 कर्मचारी, जिनमें से 2637 अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो 20.93% हैं।

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
... New Delhi

8. आयोग की अनुशंसाएँ: आयोग द्वारा सी.सी.एल प्रबंधन के साथ बैठक में की गयी चर्चा के पश्चात, निम्नवत बिन्दुओं पर कार्यवाई करने की अनुशंसा की:

1. पैराग्राफ 4 के बिन्दु 'क' एवं 'ख' में उठाए गए प्रकरणों पर की गयी / की जाने वाली कार्यवाई की सूचना प्रेषित करें।
2. वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक सी.सी.एल द्वारा विभिन्न परियोजनाओं हेतु विस्थापित हुए अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या की तुलना में, उपलब्ध कराये गए रोजगार की संख्या कम है, जिसका कारण स्पष्ट करें।
3. सी.सी.एल द्वारा विभिन्न पदों के लिए बनाए गए रोस्टर को online किया जाए।
4. सी.सी.एल में अनुसूचित जनजातियों के पदों में आरक्षण का समुचित प्रावधान सुनिश्चित करें।
5. सी.सी.एल द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सुविधा outsourced / contract पदों में भी प्रदान की जाये।
6. सी.सी.एल द्वारा विगत वर्षों में प्रारम्भ किए गए विशेष भर्ती अभियान की विज्ञप्ति की प्रति उपलब्ध करायी जाये।
7. सी.सी.एल प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षण मापांक (Training एमodule), SC / ST Employees Welfare Association की सलाह से तैयार किया जाये।
8. सी.सी.एल प्रबंधन तथा SC / ST Employees Welfare Association के बीच हुई बैठकों के विवरण में, बैठक में लिए गए निर्णय तथा उनपर की गयी / की जाने वाली कार्यवाई की सूचना को भी शामिल किया जाये।
9. सी.सी.एल प्रबंधन तथा SC / ST Employees Welfare Association के बीच सावधिक बैठकें आयोजित की जाए।
10. सी.सी.एल द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रदान की गयी आवासीय सुविधा की पदवार संख्या बतायी जाये।
11. संपर्क अधिकारी (Liaison Officer) को समय-समय पर आरक्षण नीति के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा जाए, जिससे वह आरक्षण नीतियों के बारे में अद्यतन रह सकें।
12. अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति को स्थानीय स्तर पर भी प्रकाशित किया जाये।
13. सी.सी.एल द्वारा विगत 5 वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के लिए खोली गयी / स्वीकृत खुदरा दुकानों का विवरण बताएँ।
14. सी.सी.एल द्वारा CSR के अंतर्गत JPSC तथा UPSC के परीक्षाओं हेतु, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को कोचिंग केंद्र खोलने का प्रयास किया जाए।
15. अनुसूचित जनजाति के आवासित ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करने हेतु प्रयास किया जाए।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
...nment of India

16. सी.सी.एल द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संबन्धित संस्थान से सम्बद्ध किया जाए, जिससे प्रशिक्षण उपरांत 'प्रशिक्षण प्रमाण पत्र' निर्गत किया जा सके, जो विभिन्न पदों पर आवेदन हेतु मान्य हो सके।
17. सी.सी.एल की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 का अध्याय, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का विवरण शामिल हो, की प्रति उपलब्ध कराएं।
18. सी.सी.एल **के अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आवासीय व्यवस्था प्रदान करायी जाए।**
19. सी.सी.एल द्वारा कुल एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी, जिनका पिछले 3 वर्षों में स्थानांतरण किया गया है, का विवरण प्रदान करें।
20. सी.सी.एल प्रबंधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों के लिए, 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया जाए, जैसा कि NCST ने अगस्त 2021 में सभी मंत्रालयों / विभागों को सलाह दी थी। (प्रति संलग्न)
21. वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत निर्धारित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किये जाने का कारण स्पष्ट करें।
22. सी.सी.एल द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु उठाए गए कदमों का विवरण प्रदान किया जाए।

आशा लकड़ा

(आशा लकड़ा)
सदस्य,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

List of participants of the Review Meeting with the Chairman –Cum- Managing Director & Ors. Sr. Officers of Central Coalfields Ltd., Ranchi on 13.06.2024 at 11:00 AM at Ranchi (Jharkhand) under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, NCST, New Delhi.

Sr.	Name and Designation	Address & Ph. No.	Signature
I.	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Smt. Alka Tiwari, Secretary		[signature]
2.	Shri Surat Singh, Director		[signature]
3	Smt. M. Ingudam, Director		[signature]
4.	Shri R.S. Misra, Research Officer		[signature]
5.	Shri Akash Tripathy, Sr. Investigator		[signature]
6.	Shri Neelmani Thakur, JLRC		[signature]
7.	Sh. P. K. Das, RO, RO, NCST RANCHI	NCST, Ranchi	[signature]
8	Sh. KUSHESWAR SAHU, PS to Hon'ble Member		
9			
II.	**CCL, Ranchi (Jharkhand)**		
	Name & Designation	**Address & Ph. No.**	**Signature**
1	Shri Harish Duhan, D.T.	CCL, HQ, Ranchi	[signature]
2	शैलेश कुमार ठाकुर, GM(QE)	CCL, HQ, Ranchi	[signature]
3	नवनीत कुमार HOD(PR&R)	CCL HQ, Ranchi	[signature]
4			
5	रेखा पाण्डेय, विभागाध्यक्ष	सी सी एल, कल्याण विभाग 8987785497	[signature]
6	कविता गुप्ता विभागाध्यक्ष (प्रशासन)	सी सी एल	[signature]
7	संजय मुख्य प्रबंधक	सी. सी. एल.	[signature]
8	अशोक कुमार, मु० प्र०	सी सी एल	[signature]
9	Alok Kumar	CCL	[signature]
10	T. Heera Kumar	CCL	[signature]